राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–42 / 2025

बैजनाथ प्रसाद बनाम् सचिन कुमार गुप्ता

वाद संख्या–52 / 2025

विजय कुमार गुप्ता बनाम् सचीन कुमार गुप्ता।

यह वाद श्री बैजनाथ प्रसाद, पिता–श्री पारसनाथ सर्राफ, पता–वार्ड संख्या–07, राजा बाजार, बिहियाँ, पोस्ट–थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर(आरा) तथा श्री विजय कुमार गुप्ता, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिहियाँ, जिला–भोजपुर(आरा) द्वारा श्री सचीन कुमार गुप्ता, पिता– स्व0– गोविन्द गुप्ता, पता–वार्ड संख्या–13, राजा बाजार, बिहियाँ, पोस्ट–थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर (आरा) (**वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिहियाँ जिला–भोजपुर (आरा)** के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) तथा धारा–18(1)(g) के तहत क्रमशः इस नियम के अधीन निर्धारित कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक तथा निहित शक्तियों के दुरूपयोग एवं आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के कारण 06 माह से अधिक समय से फरार होने के आधार पर मुख्य पार्षद, **नगर पंचायत बिहियाँ जिला–भोजपुर (आरा)** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री बैजनाथ प्रसाद का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, एवं श्री विजय कुमार गुप्ता का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर(आरा)** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर(आरा)** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी श्री बैजनाथ प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी बिहियाँ नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, जिनके द्वारा दिनांक–13.01.2023 को शपथ ग्रहण किया गया। जिला पदाधिकारी, **भोजपुर(आरा)** के पत्रांक–103 / निर्वा0, दिनांक–19.01.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी द्वारा सामान्य बोर्ड की न्यूनतम बैठक 36 के स्थान पर केवल 07 बार आहूत की गयी है, जबकि सशक्त स्थायी समिति की न्यूनतम बैठक 72 के स्थान पर मात्र 06 बार आहूत की गयी है, जबकि वैधानिक प्रावधानों के आरोप में बैठकें आहूत करने की वैधानिक जवाबदेही मुख्य पार्षद की है। अपने दावें के समर्थन में इनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–27A(1), धारा–48 तथा बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 की धारा–03 का वाचन आयोग के समक्ष किया गया।

उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि वैधानिक दायित्वों का लगातार उल्लंघन कर बैठकें आहूत नहीं करना बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत कर्त्तव्यों की जान–बुझकर उपेक्षा एवं निहित शक्तियों के दूरूपयोग के श्रेणी में आता है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि सुनैना देवी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा यह स्थापित किया गया है कि वैधानिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित बैठकों को करना उस बोर्ड के अध्यक्ष की वैधानिक जवाबदेही है। उनके द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि श्रीमती सुनैना देवी, जो कि प्रखण्ड पंचायत समिति की अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख उन्हें बैठक आहूत नहीं करने के आधार पर पद से हटाया गया था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय, पटना के एकल पीठ द्वारा C.W.J.C. No-

15843/2007 में सही ठहराया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा पहले द्विसदस्यीय पीठ (L.P.A. No-679/2008) तथा उसके उपरांत माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में अपील (S.L.P. No-10639/2010) दायर किया गया था, को खारिज कर दिया गया, अर्थात् एकलपीठ के निर्णय को Finality प्राप्त हो चुकी है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह मामला पंचायत से संबंधित था, परन्तु विचाराधीन मामले के Pari materia है। अतः अब कोई Doubt ही नहीं है कि प्रतिवादी पदधारण करने के योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, बिहियाँ, जिला–भोजपुर(आरा) बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के प्रावधानों के अधीन पदधारण करने के योग्य नहीं है।

द्वितीय वादी श्री विजय कुमार गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध उन 16 मामलों में बिहियाँ थाना एवं अन्य थानों में दर्ज है। बिहियाँ थाना काण्ड संख्या–32/2025, दिनांक–31.01.2025 धारा–126(2)/115(2)/352/3(5)भा0न्या0सं0 एवं 27 Arms Act में दर्ज है। दर्ज F.I.R. के अनुसार राजा बाजार बिहियाँ में फाईरिंग करने, रंगदारी माँगने एवं जान से मारने के आरोप में काण्ड दर्ज है। श्री सचीन गुप्ता के विरूद्ध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में मामला सत्य पाया गया है। घटना की तिथि–31.01.2025 से वह फरार चल रहे है। उनके द्वारा दावा किया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–18(1)(g) के तहत प्रतिवादी पद धारण करने के अयोग्य है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए, यह दावा किया गया कि वादी जिन कारणों/आधारों पर उनके मुवक्किल को मुख्य पार्षद के पद से निरर्हित करने का अनुरोध कर रहे है, उनका उल्लेख बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) में नहीं है। उनके द्वारा उक्त धारा का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

"यदि वह अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार करता हो या जान–बुझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता हो।"

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उक्त प्रावधान में यह कहीं अंकित नहीं है कि निर्धारित संख्या से कम संख्या में बैठकें आयोजित होना निर्रहर्त्ता या अयोग्यता का कारण है।

उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–48 के सभी उप धाराओं का वाचन बारी–बारी से किया गया तथा यह दावा किया गया कि मुख्य पार्षद के साथ–साथ बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। अतः बोर्ड की बैठक आहूत नहीं होती, तो केवल मुख्य पार्षद दोषी नहीं है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–27A(2) एवं धारा–27A(3) का वाचन किया गया।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा संदर्भित सुनैना देवी वाद का न्याय–निर्णय पंचायत से संबंधित है, इस कारण वह विचाराधीन मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि पंचायत में केवल प्रमुख को ही बैठक बुलाने का अधिकार है, जबकि नगरपालिका में उप मुख्य पार्षद एवं अन्य पार्षद भी बैठके बुला सकते है। उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के प्रतिवेदन का अवलोकन कराया गया, जिसमें दो–दो बार बैठकें उप मुख्य पार्षद द्वारा आहूत करायी गयी है।

आगे उनके द्वारा इस तथ्य को रेखांकित किया है कि कई कारणों यथा–नगरपालिका उप निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचनों के कारण बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वितीय वादी श्री विजय कुमार गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए, आयोग को बताया गया कि जबतक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को Absconder घोषित नहीं किया जाता, तबतक महज F.I.R. या पुलिस अनुसंधान के आधार पर उसे Absconder नहीं कहा जा सकता। अतः वादी का यह तर्क कि उनके मुवक्किल बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(g) के तहत अयोग्य है, प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के तर्कों का खण्डन करते हुए, आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा संदर्भित न्याय–निर्णय से यह वाद Squarely Covered है, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम–2006 के प्रावधानानुसार पंचायत समिति के सदस्य एवं पंचायत समिति के उप प्रमुख भी बैठक आहूत करने हेतु सक्षम है, परन्तु बैठक आहूत करने की जिम्मेदारी प्रमुख/मुख्य पार्षद(इस मामले)पर है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के दूसरे तर्क का खण्डन करते हुए, आयोग को बताया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि धारा–18(1)(g) के तहत अयोग्य घोषित करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय द्वारा Absconder घोषित किया जाए। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Statute में यदि इसकी आवश्यकता होती, तो विधि निर्माता उल्लेख करते कि competent court से Absconder घोषित होना आवश्यक है। उनके द्वारा दावा किया गया कि Absconder के जगह Absconding शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसका सम्मन निर्गत करने वाले कोर्ट के समक्ष आत्मसर्मपण अथवा उपस्थित होना था, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–150/निर्वा0, दिनांक–31.01.2026 तथा 4539/निर्वा0, दिनांक–27.11.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–**

क्र0	माह	सशक्त स्थायी समिति बैठक की न्यूनतम सं0	सामान्य बोर्ड बैठक की न्यूनतम सं0	सशक्त बैठकों की तिथि	सामान्य बैठकों की तिथि	अभियुक्ति
1	जनवरी, 2023	02	01	–	–	
2	फरवरी, 2023	02	01	09.02.2023	–	
3	मार्च, 2023	02	01	–	23.03.2023	
4	अप्रैल, 2023	02	01	–	–	
5	मई, 2023	02	01	17.05.2023	02.05.2023	
6	जुन, 2023	02	01	–	–	
7	जुलाई, 2023	02	01	–	–	
8	अगस्त, 2023	02	01	–	–	
9	सितम्बर, 2023	02	01	–	20.09.2023	
10	अक्टूबर, 2023	02	01	–	–	
11	नवम्बर, 2023	02	01	–	–	
12	दिसम्बर, 2023	02	01	–	–	
13	जनवरी, 2024	02	01	04.01.2024	–	
14	फरवरी, 2024	02	01	–	–	

15	मार्च, 2024	02	01	—	—	
16	अप्रैल, 2024	—	—	—	—	
17	मई, 2024	—	—	—	—	
18	जुन, 2024	02	01	—	27.06.2025	
19	जुलाई, 2024	02	01	10.07.2024	—	
20	अगस्त, 2024	02	01	—	05.08.2024	
21	सितम्बर, 2024	02	01	—	—	
22	अक्टूबर, 2024	02	01	23.10.2024	—	
23	नवम्बर, 2024	02	01	—	—	
24	दिसम्बर, 2024	02	01	—	26.12.2024	
25	जनवरी, 2025	02	01	24.01.2025	—	
26	फरवरी, 2025	02	01	—	—	
27	मार्च, 2025	02	01	—	—	
28	अप्रैल, 2025	02	01		28.04.2025	दिनांक–15.04.2025 को बजट हेतु बैठक आयोजित किया गया, लेकिन कोरम के अभाव में बैठक स्थगित किया गया। पुनः दिनांक–28.04.2025 को माननीय उप मुख्य पार्षद, श्री विजय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया।
29	मई, 2025	02	01		—	
30	जुन, 2025	02	01		—	
31	जुलाई, 2025	02	01		—	दिनांक–09.08.2025 को बोर्ड बैठक आहुत किया गया, लेकिन कोरम के अभाव में बैठक स्थगित किया गया।
32	अगस्त, 2025	02	01		—	
33	सितम्बर, 2025	02	01		—	
34	अक्टूबर, 2025	02	01		—	
35	नवम्बर, 2025	02	01		—	
36	दिसम्बर, 2025	02	01		—	
	कुल बैठकों की संख्या–	72	36	06	07	

(पत्रांक–150/निर्वा0, दिनांक–31.01.2026)

पत्रांक–4539/निर्वा0, दिनांक–27.11.2025 द्वारा प्रेषित जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के प्रतिवेदन में सलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर के प्रतिवेदनानुसारः–

"जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि नगर पंचायत, बिहियाँ के मुख्य पार्षद, श्री सचीन कुमार गुप्ता बिहियाँ थाना काण्ड संख्या–32/25, दिनांक–31.01.2025 में फरार चल रहा है। इस संबंध में सूचना कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बिहियाँ थाना का ज्ञापांक–2377/25, दिनांक–05.08.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन भेजी गयी है कि अगर कार्यालय में उपस्थित होगें, तो इस संबंध में सूचना तुरन्त बिहियाँ थाना को दिया गया। फरार नगर पंचायत बिहियाँ के मुख्य पार्षद श्री सचीन कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हेतु बिहियाँ थाना द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।"

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर का प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णयों तथा विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मुख्य रूप से दो आरोप लगाये गये हैं–

(1) वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने वाले नगरपलिका की बैठकों को न्यूनतम निर्धारित संख्या में आहूत नहीं करना तथा (2) आपराधिक मुकदमें में अभियुक्त होने के कारण 06 माह से अधिक समय से फरार रहना।

आयोग द्वारा दोनों आरोपों का परिशीलन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया जिसमें वादी द्वारा संदर्भित माननीय न्यायालयों से निर्गत न्यायादेशों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, तो यह पाया गया कि एक वादी का आरोप सही, जबकि एक वादी का आरोप अंशतः सही परन्तु वैधानिक रूप से अपूर्ण है।

नगरपालिका के अधीन दो बैठकों का वैधानिक प्रावधान है जिसे आहूत करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद को दी गयी है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–48 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"48(1) नगरपालिका अपने कार्य संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी। (The Municipality shall meet not less than once in every month of the transaction of its business.)

48(2) मुख्य पार्षद, जब कभी उपयुक्त समझे तथा पार्षदों को कम से कम [2/5] भाग द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा किये जाने पर, नगरपालिका की बैठक [पन्द्रह दिनों] के भीतर आहूत करेगा।"

ठीक इसी प्रकार सशक्त स्थायी समिति की बैठक के संबंध में बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावाली–2010 के नियम–3 में प्रावधान है कि –" समिति साधारणतया महीने में दो बार सामान्यतः पहले और तीसरे सोमवार को वैसे घंटों के लिए जैसा समिति समय–समय पर निर्धारित करें, नगरपालिका के कार्यालय में बैठक करेगी। (The Committee shall meet at the Municipal Office ordinarily twice in a month generally on first and third Monday at such hours as the Committee may from time to time determine.)

परन्तु यदि किसी महीने के पहले या तीसरे सोमवार को राजपत्रित छुट्टी पड़े, या अध्यक्ष के विचार में किसी अन्य कारण से असुविधाजनक हो तो, ते कारणों की लिखित रूप में अंकित करते हुए साधारण बैठकों के लिए दूसरा दिन तय करेंगे।" (Provided that if the first or third Monday of any month falls on a Gazetted Holiday, or if the Chairman for any other reason considers such day inconvenient, he may with reasons to be recorded in writing fix another day for the ordinary meetings.)

उक्त अधिनियम की धारा–27(अ) में मुख्य पार्षद की शक्तियों एवं कार्यों का वैधानिक प्रावधान अंकित है, जो निम्नवत् है–

" धारा–27(अ)(1) मुख्य पार्षद नगरपालिका के कार्यपालक अध्यक्ष होगा ओर नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है।

धारा–27(अ)(2) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उपमुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।"

उक्त वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि नगरपालिका प्रशासन का संचालन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन संचालित करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद की है। अतः वैधानिक प्रावधानों के अधीन पार्षदों की बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की निर्धारित न्यूनतम बैठकों का नहीं कराया जाना मुख्य पार्षद द्वारा जान–बूझकर अपने वैधानिक कर्त्तव्यों की उपेक्षा का प्रमाण है। इस संबंध में प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि

बैठक नहीं होने के कारण प्रतिवादी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 में बैठक नहीं करने के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान अंकित नहीं है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1)(i) में जान–बुझकर कर्त्तव्यों की उपेक्षा का प्रावधान अंकित है। साथ ही साथ उपरोक्त धाराओं में मुख्य पार्षद के वैधानिक कर्त्तव्य अंकित है, जिन्हें वह स्वेच्छाचारिता से जब चाहें या जैसे चाहें नहीं कर सकतें, बल्कि उन्हें इस हर हाल में वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही करना है। अतः प्रतिवादी का अपने बचाव में दिया गया तर्क मात्र ही उनके स्वेच्छाचारिता का परिचायक है तथा यह प्रमाणित करता है कि उनके लिए वैधानिक प्रावधानों के अधीन बैठकें आहूत करना महत्वपूर्ण नहीं है।

साथ ही साथ प्रतिवादी का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि बैठक आहूत नहीं होने के लिए सम्पूर्ण बोर्ड के सदस्य जवाबदेह है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों में उक्त कर्त्तव्य के लिए क्रम निर्धारित है। मुख्य पार्षद के अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद की या दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यगणों की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। चूँकि मुख्य पार्षद लिखित रूप से अनुपस्थित नहीं है, अतः प्रतिवादी का दावा मान्य नहीं है।

अतएव वैधानिक प्रावधान एवं नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किन्ही कारणों से बैठके आहूत नहीं की जाती तो उसे कार्यवाही प्रतिवेदन में अभिलेखित किया जायेगा, परन्तु विचाराधीन मामले में प्रतिवादी द्वारा न तो बैठके आहूत की गयी है और न ही बैठकें आहूत नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित किया है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्वाचनों के कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठकों पर रोक लगा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुनैना देवी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा यह स्थापित किया गया है कि वैधानिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित बैठकों को करना उस बोर्ड के अध्यक्ष की वैधानिक जवाबदेही है। उनके द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि श्रीमती सुनैना देवी, जो कि प्रखण्ड पंचायत समिति की अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख उन्हें बैठक आहूत नहीं करने के आधार पर पद से हटाया गया था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय, पटना के एकल पीठ द्वारा C.W.J.C. No-15843/2007 में सही ठहराया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा पहले द्विसदस्यीय पीठ (L.P.A. No-679/2008) तथा उसके उपरांत माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में अपील (S.L.P. No-10639/2010) दायर किया गया था, को

खारिज कर दिया गया, अर्थात् एकलपीठ के निर्णय को Finality प्राप्त हो चुकी है। यह मामला भलेहिं पंचायत से संबंधित था, परन्तु विचाराधीन मामले के Pari materia है। अतः अब कोई Doubt ही नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा वैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वहन जान–बुझकर नहीं करने के कारण पदधारण करने के योग्य नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा जान–बूझकर सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक मनमाने ढ़ंग से आहूत करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No-15843/2007 में दिये गये न्यायनिर्णय के आलोक में इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बूझकर उपेक्षा है तथा इस कारण से वह बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा–18(1)(l) के तहत अयोग्य घोषित किये जाने योग्य है।

आयोग द्वारा वादी के दूसरे आरोप का भी गहन परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि वादी कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को फरारी या भगोड़ा घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर किसी अभियुक्त को फरारी घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकार/न्यायालय नहीं है। अतः मात्र उनके प्रतिवेदन के आधार पर वादी का दूसरा दावा प्रमाणित नहीं होता।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से प्रमाणित है कि श्री सचीन कुमार गुप्ता, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत–बिहियाँ, जिला–भोजपुर द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित वैधानिक कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बूझकर उपेक्षा करने तथा उनमें निहित शक्तियों को दुरूपयोग करने के दोषी है। इस प्रकार उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18(1)(l) के तहत निरर्हता/अयोग्यता अर्जित कर ली गयी है।

अतएव उक्त अधिनियम बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सचीन कुमार गुप्ता, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत–बिहियाँ, जिला–भोजपुर को अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर पंचायत–बिहियाँ, जिला–भोजपुर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद, नगर पंचायत–बिहियाँ, जिला–भोजपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–42 एवं 52/2025 1699

पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–42 एवं 52/2025 1699 **पटना, दिनांक–** 28/4/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–42 एवं 52/2025 1699 **पटना, दिनांक–** 28/4/2026

प्रतिलिपि– श्री बैजनाथ प्रसाद, पिता–श्री पारसनाथ सर्राफ, पता–वार्ड संख्या–07, राजा बाजार, बिहियाँ, पोस्ट–थाना–बिहियाँ, जिला–**भोजपुर(आरा)**/श्री विजय कुमार गुप्ता, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिहियाँ, जिला–**भोजपुर(आरा)** एवं श्री संचीन कुमार गुप्ता, पिता–स्व0–गोविन्द गुप्ता, पता–वार्ड संख्या–13, राजा बाजार, बिहियाँ, पोस्ट–थाना–बिहियाँ, जिला–**भोजपुर (आरा)** (**पदमुक्त मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिहियाँ जिला–भोजपुर (आरा)** को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–42 एवं 52/2025 1699 **पटना, दिनांक–** 28/4/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्वाचन शाखा)/श्री वैष्णों कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी